

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 56/2024 राजस्व वाद

03. श्री कृष्णपाल सिंह पिता बहादुर सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

04. श्री बहादुर सिंह पिता मोहन सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा। --- वादीगण

बनाम

1. श्री कुलदीप सिंह पिता छोटु सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

2. पुजा कंवर पुत्री हरि सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

3. श्री भगवान सिंह पिता हरि सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

4. श्री मनवीर सिंह पिता हरि सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

5. राज कंवर पुत्री हरि सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

6. वर्षा कंवर पुत्री छोटु सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

7. श्रीमति सुरज कंवर पत्नि छोटु सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

8. श्री हिम्मत सिंह पिता हरि सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

--- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

स्थित :-

श्री बन्टु सिंह चुण्डावत,

कपक्षीय-

-अधिवक्ता वादीगण

प्रतिवादी सं-01 लगायत 9

:: निर्णय ::

दिनांक- 28/11/2024

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 के एकट के तहत प्रस्तुत कर सरहद गरवाय पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादी एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 08 के नाम शामिल की खानेदारी हक से काई है। शामिल होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई आदि मे विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत न की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक 13.03.2024 से विहित धि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादी संख्या-01 लगायत 09 उपस्थित नही होने से रफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता ने बहस करने का निवेदन किया, सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी पने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया। अतएव:

*1/2024*  
उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक कलेक्टर करेड़ा

## ::आदेश::

सरहद गरवाय पटवार हल्का गोरधनपुरा. तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या मे आराजी नम्बर 763, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 777, कुल किता 12 रकबा 8.2455 हैक्टयर मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के दिश दिये जाते है :-

1) खातेदार का नाम- कृष्णपाल सिंह पिता बहादुर सिंह जाति रावल खातेदार के नाम पर-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1	763/2	0.5495 हैक्टयर
2.	765	0.2656 हैक्टयर
3.	766	0.1012 हैक्टयर
4.	767	0.3162 हैक्टयर
5.	768	0.6197 हैक्टयर
6.	769/2	0.0712 हैक्टयर
7.	770/3	0.0738 हैक्टयर
8.	774/3	0.7050 हैक्टयर
9	777	0.0126 हैक्टयर
योग	कुल किता 09	2.7148 हैक्टयर

2) खातेदार का नाम- बहादुर सिंह पुत्र मोहन सिंह जाती रावल सा0 खातेदार के नाम पर-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
	770/2	0.3919 हैक्टयर
	773	0.1391 हैक्टयर
	774/2	2.1838 हैक्टयर
T	कुल किता 03	2.7148 हैक्टयर

खातेदार का नाम- कलदीप सिंह पुत्र छोटु सिंह 1/18, वर्षा कंवर पुत्री छोटु सिंह 8, सुरज कंवर पत्नि छोटु सिंह 1/18, भगवान सिंह पुत्र हरि सिंह 1/6, मनवीर सिंह पुत्र सिंह 1/6, हिम्मत सिंह पुत्र हरि सिंह 1/6, पुजा कंवर पुत्री हरि सिंह 1/6, राजकंवर हरि सिंह 1/6, जातीयान रावल सा0 देह खातेदार के नाम पर-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
	763/1	1.3222 हैक्टयर
	769/1	0.0173 हैक्टयर
	770/1	0.3816 हैक्टयर
	774/1	0.9936 हैक्टयर
	कुल किता 04	2.7147 हैक्टयर

खातेदार का नाम- शामलाती सभी सहखातेदार हिस्सा जमाबन्दी बदस्तुर नाम पर-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
	771	0.0253 हैक्टयर

Vgeny  
उपखण्ड अधिकारी पद  
सहायक कलक्टर करेड़ा

2	772	0.0759 हैक्टर
योग	कुल किता 02	0.1012 हैक्टर

भाजन प्रस्ताव अनुसार डिक्री जारी हो, उक्तानुसार डिक्री जारी करें। खर्चा फरिकेन अपना जना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 28/11/2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी पदेन  
सहायक आसस्टेंट सरेट

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

उसीन अधिकारी :-जोगेन्द्र सिंह, (आर.ए.एस.)

फदमा नम्बर 56/2024 राजस्व वाद

01. श्री कृष्णपाल सिंह पिता बहादुर सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
02. श्री बहादुर सिंह पिता मोहन सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा। — वादीगण

बनाम

01. श्री कुलदीप सिंह पिता छोटु सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
02. पुजा कंवर पुत्री हरि सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
03. श्री भगवान सिंह पिता हरि सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
04. श्री मनवीर सिंह पिता हरि सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
05. राज कंवर पुत्री हरि सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
06. वर्षा कंवर पुत्री छोटु सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
07. श्रीमति सुरज कंवर पत्नि छोटु सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
08. श्री हिम्मत सिंह पिता हरि सिंह रावल आयु वयस्क निवासी-गरवाय तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
09. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा. (राज0)

— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

वादी की ओर से श्री बन्दु सिंह चुण्डावत, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 28/11/2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

सरहद गरवाय पटवार हल्का गोरधनपुरा. तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 24 मे आराजी नम्बर 763, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 777, कुल कित्ता 12 रकबा 8.2455 हैक्टर मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

::आदेश::

सरहद गरवाय पटवार हल्का गोरधनपुरा. तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 24 मे आराजी नम्बर 763, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 777, कुल

उपरोक्त अधिकारी पर  
सहायक कलक्टर करेड़ा  
सहायक कलक्टर करेड़ा

केता 12 रकबा 8.2455 हैक्टर मे वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

1) खातेदार का नाम- कृष्णपाल सिंह पिता बहादुर सिंह जाति रावल खातेदार के नाम पर-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	763/2	0.5495 हैक्टर
2.	765	0.2656 हैक्टर
3.	766	0.1012 हैक्टर
4.	767	0.3162 हैक्टर
5.	768	0.6197 हैक्टर
6.	769/2	0.0712 हैक्टर
7.	770/3	0.0738 हैक्टर
8.	774/3	0.7050 हैक्टर
9	777	0.0126 हैक्टर
योग	कुल किता 09	2.7148 हैक्टर

2) खातेदार का नाम- बहादुर सिंह पुत्र मोहन सिंह जाती रावल सा0 खातेदार के नाम पर-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	770/2	0.3919 हैक्टर
2.	773	0.1391 हैक्टर
3.	774/2	2.1838 हैक्टर
योग	कुल किता 03	2.7148 हैक्टर

खातेदार का नाम- कलदीप सिंह पुत्र छोटु सिंह 1/18, वर्षा कंवर पुत्री छोटु सिंह 1/18, सुरज कंवर पत्नि छोटु सिंह 1/18, भगवान सिंह पुत्र हरि सिंह 1/6, मनवीर सिंह पुत्र सिंह 1/6, हिम्मत सिंह पुत्र हरि सिंह 1/6, पुजा कंवर पुत्री हरि सिंह 1/6, राजकंवर हरि सिंह 1/6, जातीयान रावल सा0 देह खातेदार के नाम पर-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
	763/1	1.3222 हैक्टर
	769/1	0.0173 हैक्टर
	770/1	0.3816 हैक्टर
	774/1	0.9936 हैक्टर
योग	कुल किता 04	2.7147 हैक्टर

खातेदार का नाम- शामलाती सभी सहखातेदार हिस्सा जमाबन्दी बदस्तुर नाम पर-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
1	771	0.0253 हैक्टर

सहायक कलक्टर करेड

2	772	0.0759 हेक्टर
योग	कुल किता 02	0.1012 हेक्टर

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता फायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे।

तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

*(Signature)*  
 (जोगेन्द्र सिंह) पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 28.11.2024को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी की गई।

*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)